C/N- 206/2018

28/8/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी सं. 1 के वकील की ओर से No instruction किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा को प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर बहस की गई। अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दि. 8/9/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थी की हालत No instruction
28.8.2023

8/9/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधि. को स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली के जमा शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायाल

1. रामनारायण पुत्र ...
अजमेर राजस्थान
2. हरकरण पुत्र छीतर ...
अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 206/2018

1. रामनारायण पुत्र छीतर जाति जाट निवासी खेडा कर्मसोतान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
2. हरकरण पुत्र छीतर जाति जाट निवासी खेडा कर्मसोतान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामकरण पुत्र छीतर जाति जाट
2. हरचन्द पुत्र सुखा जाति जाट
3. अमराव पुत्र भोलू जाति जाट
4. श्रवण पुत्र भोलू जाति जाट

   सर्व निवासी खेडा कर्मसोतान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांकः 08/09/2023

उपस्थितः श्री इन्द्रेश कुमार प्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री इन्द्रेश कुमार के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 212 के विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की सहखातेदारी भूमि ख0नं0 550 रकबा 00–03–00 किस्म गै0मु0 चाह, ख0नं0 551/1 रकबा 124–10–08, ख0नं0 563 रकबा 10–10–00 एवं ख0नं0 2036 रकबा 11–18–00 भूमि ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रार्थी सं0 2 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी सं0 1 का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 3 एवं 4 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित होकर काबिज काश्तकार है। अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

वादगस्त भूमि में से ख0नं0 551/1 जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से अनुसंलग्न भूमि है पर बिना संपरिवर्तन करवाये प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि में उसके अन्तरनिहित हिस्से, अधिकारों से वंचित करते हुये अवैध, अनाधिकृत रूप से गैर कृषि प्रयोजनार्थ निर्माण करने में उद्दत हो रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के उपरोक्त अवैध, अनाधिकृत कृत्य में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 भी शान्त रहकर उसके अनुचित कार्यो में सहयोग कर रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को दिनांक 20.06.2018 को यह आग्रह किया कि उपरोक्त भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी विभाजन करवाकर, अलग–अलग खाता, खसरा कायम करवा लेवें, किन्तु अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 अप्रार्थी सं0 1 के उपरोक्त अनुचित कार्य में सहयोग देने हेतु उद्दत हो गये एवं अप्रार्थी संख्या 1 बिना नींव–सींव के विभाजन एवं उपरोक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाये बिना अकृषि प्रयोजनार्थ निमार्ण में उद्दत रहे। इस कारण प्रार्थीगण की ओर से यह वाद संस्थित किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण के परिजन ने अप्रार्थी संख्या 1 के उपरोक्त अवैध, अनाधिकृत कृत्य के बाबत् अप्रार्थी संख्या 5 के समक्ष भी दिनांक 22.06.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही नही किये जाने से अप्रार्थी संख्या 1 अवैध, अनाधिकृत कृत्य में और उग्रोत्तर होकर नियमों के विपरीत कृत्य कर रहा है। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। वादग्रस्त भूमि अविभाजित होकर राजस्व श्रेणी की है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त राजस्व श्रेणी की अविभाजित भूमि के बाबत् बिना संपरिवर्तन करवाये निर्माण किये जाने का कोई विधिक अधिकार नही है। वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि का बिना विभाजन करवाये निर्माण नहीं करें, प्रार्थीगण के काश्त कार्यो में दखलन्दाजी नही करे, खुर्द बुर्द नही करे तथा नहीं ही दान, बैचान, बय, बक्शीस करे।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से वकील श्री गणेश प्रजापत द्वारा जबाव पेश किया एवं अप्रार्थी सं0 2 लगायत 4 की ओर से वकील श्री रतनलाल चौधरी द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी सं0 5 को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद भी जवाब पेश नही करने के कारण दिनांक 15.09.2021 को उनका जवाब का अवसर बन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

3.1 वकील अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के सयुंक्त कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर में ख0नं0 550 रकबा 00–03–00, ख0नं0 551/1 रकबा 124–10–08, ख0नं0 563 रकबा 10–10–00 एवं ख0नं0 2036 रकबा 11–18–00 कुल किता 4 कुल रकबा 147–01–10 बिस्वांसी भूमि स्थिति है। उपरोक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होकर मौके पर अपने हिस्से अनुसार वर्षो से अप्रार्थी संख्या 1 काबिज काश्त चला आ रहा है तथा अप्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नही है। इसके बाद भी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है। प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध झूठे एवं मिथ्या कथन अंकित करके राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से अनुसंलग्न भूमि ख0नं0 551/1 पर बिना संपरिवर्तन कराये अवैध अनाधिकृत रूप से गैर कृषि प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य करने में उद्यत होना बताया है इस वजह से झूठे आरोप लगाये है। बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 मौके पर अपने हिस्से के अनुसार वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती हुई भूमि का सभी खातेदार काश्तकारों प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य मौके पर मौखिक विभाजन होकर वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उसी के अनुसार अपनी खेती बाडी करते है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में दावा व प्रार्थना पत्र पेश करने के पूर्व ही अपने कृषि कार्यो के लिए निर्माण किया हुआ है तथा अन्य अप्रार्थीगण पर भी प्रार्थीगण द्वारा झूँठा आरोप लगाकर अंकित किया कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 भी शान्त रहकर अप्रार्थी संख्या 1 का अनुचित कार्यो में सहयोग कर रहे है बल्कि वास्तविकता यह है कि मौके पर सभी खोतदार अपने हिस्से पर काबिज काश्त होने से किसी को कोई परेशानी नही है, बल्कि प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 को परेशान करने की मंशा से न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 20.06.2018 को खातेदारी विभाजन करवाकर अलग अलग खाता, खसरा कायम करवाने हेतु कभी कोई आग्रह नही किया गया है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को कई बार समझाया की सभी आपस में सहमति करके खातेदारी विभाजन करवा लेते है लेकिन प्रार्थीगण ने किसी का भी कहना नहीं माना और प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को कहा कि मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूगा और तुझे परेशान करूँगा। इस मंशा से प्रेरित होकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा मौके पर जो निर्माण हो रखा है वह प्रार्थना पत्र पेश करने से

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

काफी पहले का है जो अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से में निर्मित हैं। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 के समक्ष कभी भी दिनांक 22.06.2018 को कोई भी प्रार्थना पत्र पेश नही किया बल्कि झूठी शिकायत करने पर ज्ञान हुआ कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने ही हिस्से पर काबिज काश्त है तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को निवेदन किया कि आपसी सहमति से भूमि का नाप चोप करवा ले तब भी प्रार्थीगण ने इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र झूँठे आरोप लगाकर पेश किया गया है तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूतनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में नही होकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का मौखिक रूप से खातेदारी विभाजन होकर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त होने से प्रार्थीगण के किसी भी विधिक अधिकार का हनन नही होता है तथा जहां तक संपरिवर्तन करवाकर निर्माण करने का प्रश्न है इसके लिये अप्रार्थी संख्या 1 खातेदारी विभाजन होने के बाद अपनी भूमि का किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग, दान, बैचान करने के लिए स्वतन्त्र है तथा यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 को रंजिशवश परेशान करने की मंशा से पेश किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

3.2 वकील अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने मौके पर कृषि भूमि का बंटवारा कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज है। अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन को अर्न्तनिहित करने तथा किसी प्रकार का अनाधिकृत कृत्य करने में सहयोग नहीं कर रहे है। मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने अपने–अपने हिस्से का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी कृषि भूमि का मय नीव सीव से विभाजन कर रखा है मौके पर राजस्व भूमि का बंटवारा होकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। अब किसी भी प्रकार का बंटवारा किये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से में आयी कृषि भूमि का मिट्टी खाद् डालकर कृषि भूमि को उपजाऊ बना रखा है। प्राथीगण की नीयत में खराबी आ जाने के कारण पुनः बटवारा कराकर अप्रार्थीगण की उपजऊ कृषि भूमि को हड़पना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र किसी भी प्रकार से चलने योग्य नही होने के कारण किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी नही है।

हमारे द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

4.1 वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की सह खातेदार काबिज काश्तकार है। वादगस्त भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 ख0नं0 551/1 जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से अनुसंलग्न भूमि हैं पर बिना संपरिवर्तन करवाये प्रार्थीगण को उपरोक्त भूमि में उसके अन्तरनिहित हिस्से, अधिकारों से वंचित करते हुये अवैध, अनाधिकृत रूप से गैर कृषि प्रयोजनार्थ निर्माण करने में उद्दत हो रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 के उपरोक्त अवैध, अनाधिकृत कृत्य में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 भी शान्त रहकर उसके अनुचित कार्यो में सहयोग कर रहे है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को दिनांक 20.06.2018 को यह आग्रह किया कि उपरोक्त भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी विभाजन करवाकर, अलग–अलग खाता खसरा कायम करवा लेवें, किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 भी अप्रार्थी संख्या 1 के अनुचित कार्य में सहयोग देने हेतु उद्दत हो गये एवं अप्रार्थी संख्या 1 बिना नीवं–सींव के विभाजन एवं उपरोक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाये बिना अकृषि प्रयोजनार्थ निमार्ण में उद्दत रहे। इस कारण प्रार्थीगण की ओर से यह वाद संस्थित किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण के परिजन ने अप्रार्थी संख्या 1 के उपरोक्त अवैध, अनाधिकृत कृत्य के बाबत् अप्रार्थी संख्या 5 के समक्ष भी दिनांक 22.06.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर त्वरित कार्यवाही नही किये जाने से अप्रार्थी संख्या 1 अवैध, अनाधिकृत कृत्य में और उग्रोत्तर होकर नियमों के विपरीत कृत्य कर रहा है। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। वादग्रस्त भूमि अविभाजित होकर राजस्व श्रेणी की है तथा अप्रार्थी संख्या 1 को उपरोक्त राजस्व श्रेणी की अविभाजित भूमि के बाबत् बिना संपरिवर्तन करवाये निर्माण किये जाने का कोई विधिक अधिकार नही है। वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को वाद गुणानुगुण निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि का बिना विभाजन करवायें निर्माण नही करें, प्रार्थीगण के काश्त कार्यो में दखलअन्दाजी नही करें, खुर्द बुर्द नही करें तथा नही ही दान, बेचान, बय, बक्शीस करे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।

5. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण को अपने

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

पक्ष में विरचित अनुतोष कि प्राप्ति हेतु निम्न तीन बिन्दु साबित करने है–(1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का सन्तुलन (3) अपूर्णनीय क्षति

5.1 प्रथम दृष्टया मामला– इस बिन्दु का भार प्रार्थीगण पर था प्रार्थीगण द्वारा ग्राम बान्दरसिन्दरी की पेश जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों में प्रार्थी सं0 1 का 1/6 हिस्सा एवं अप्रार्थी सं0 2 का 1/6 हिस्सा निहित है। अतः प्रथम दृष्टया मामला उनके हक में सिद्ध होता है। अतः उक्त बिन्दू बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण सिद्ध है।

5.2 सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णिय क्षति– उक्त दोनो बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थीगण पर था। सुविधा कि दृष्टि से उक्त दोनो बिन्दुओ का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा शपथ पूर्वक यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 वादगस्त भूमि में से ख0नं0 551/1 में प्रार्थीगण को उनके अन्तरनिहित हिस्से, अधिकारों से वंचित करते हुये अवैध, अनाधिकृत रूप से गैर कृषि प्रयोजनार्थ निर्माण करने में उद्दत हो रहा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 भी शान्त रहकर उसके अनुचित कार्यो में सहयोग कर रहे है। यदि प्रार्थीगण को उनकी आराजी में काश्त करने से रोका गया तो उन्हे अपूर्तनीय क्षति होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण सिद्ध होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम बान्दरसिन्दरी पटवार हल्का बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 स्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 की कब्जे काश्त व संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 550 रकबा 00–03–00 किस्म गै0मु0 चाह, ख0नं0 551/1 रकबा 124–10–08, ख0नं0 563 रकबा 10–10–00 एवं ख0नं0 2036 रकंबा 11–18–00 भूमि का बिना विभाजन करवाये निर्माण नहीं करने एवं प्रार्थी सं0 1 के निहित 1/6 हिस्सा एवं प्रार्थी सं0 2 के निहित 1/6 हिस्सा भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा कारित नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण सं0 1 से 4 को मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08/09/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)